25/2/202	करौली (राज०) पत्रावली पेश हुई। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर हम फीस दावा रहे। उपखण्ड मजिस्ट्रेट करौली (राज०)

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली (राज)

पीठासीन अधिकारी देवेन्द्रसिह परमार आर.ए.एस

मु.न.	किस्म मुकदमा	ता.रजू
01/2019	धारा 212 आर.टी.एक्ट	2.1.2019

उनवान

1 हामिद खॉ पुत्र बशीर खॉ जाति मुसलमान निवासी बजीरपुर दरवाजे बहार करौली

2 अब्दुल अजीज खॉ पुत्र बशीर खॉ जाति मुसलमान निवासी बजीरपुर दरवाजे बहार करौली

---सायलान

बनाम

1 गफ्फार पुत्र खैराती जाति मुसलमान निवासी मदनमोहन जी के मंदिर की सिह पौर के नीचे करौली

2 इशाक खान पुत्र खैराती जाति मुसलमान निवासी मदनमोहन जी के मंन्दिर की सिह पौर के नीचे करौली

3 मुस्ताक पुत्र खैराती जाति मुसलमान निवासी मदनमोहन जी के मंन्दिर की सिह पौर के नीचे करौली

4 इरफान उर्फ भूरा पुत्र गफ्फार जाति मुसलमान निवासी मदनमोहन जी के मंन्दिर की सिह पौर के नीचे करौली

5 इरशाद पुत्र गफ्फार जाति मुसलमान निवासी मदनमोहन जी के मंन्दिर की सिह पौर के नीचे करौली

6 असफाक उर्फ अस्सो पुत्र जमील जाति मुसलमान

7 पन्ना पुत्र कमाल खॉ जाति मुसलमान निवासी मुन्ना तहसलिया का तिराहा बिचपुरी रोड करौली

–गैरसायलान

निर्णय

दिनांक 24.02.2020

संक्षिप्त मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि सायलान ने यह प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि आराजी खसरा नम्बर 8865 लगायत 8879,8862/4, कुल किता 16 कुल रकवा 14 वीधा 18 विस्वा कस्वा करौली तहसील करौली मे सायला नम्बर 1 के खातेदारी व कब्जे की स्थित है। खसरा नम्बर 8885/2 रकवा 1 वीधा 4 विस्वा कस्वा करौली सायल नम्बर 2 के खातेदारी व कब्जे काश्त की है। जो मौके पर एक चक है। जिसकी चारो तरफ से मिटटी की डोल व पत्थर के गडडूओ मे से लोहे के तारो से तार बंन्दी हो रही है उक्त आराजी मे सायलान का कुआ व बोर है। कुआ व बोर मे मशीन डली हुई है। जिसका बिजली का खाता सायलान के नाम है। जिससे गैरसायलान का कोई सम्बन्ध नही गैरसायलान झगडालू तथा राज्य कानून से निडर व्यक्ति है। पन्ना मर्डर केस मे 14 साल की सजा काट कर आया है। हिस्ट्रीशीटर होने से जिला बदल किया गया है। दिनांक 26.12.2018 को सायलान ट्रेक्टर लेकर खेत को जुतबाने गये थे तब गैरसायलान ने ऐलानिया धमकी देकर ट्रेक्टर वाले को भगा दिया खेत को जौतने व बौने नही दिया गैरसायलान सायलान के कब्जे काश्त मे रूकावट डाल रहे है इसलिए सायलान गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी हैं अन्त मे प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र सायला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायलान बाबजूद तामिल उपस्थित नही आने पर उनके विरूद्व दिनांक 13.10.2019 को एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये है।

बहस प्रार्थना पत्र वकील सायलान एक पक्षीय सुनी गयी पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील सायलान का बहस मे कथन है कि वादग्रस्त आरजीयात गैरसायलान की यह कार्यवाही अनाधिकार है जिससे सायला के हक हकूक पर भारी आधात है और सायला को अपूर्णीय क्षति व भारी असुविधा है सायला गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने की अधिकारी है।

वकील गैरसायलान का बहस मे कथन है विवादित आराजी खसरा नम्बर 8865 लगायत 8879,8862/4, कुल किता 16 कुल रकवा 14 वीधा 18 विस्वा कस्वा करौली तहसील करौली

Scanned with CamScanner

मे सायला नम्बर 1 के खातेदारी व कब्जे की स्थित है। खसरा नम्बर 8885/2 रकवा 1 बीघा 4 विस्वा कस्वा करौली सायल नम्बर 2 के खातेदारी व कब्जे काश्त की है। जो मौके पर एक चक है। जिसकी चारो तरफ से मिटटी की डोल व पत्थर के गडडूओ मे से लोहे के तारो से तार बंन्दी हो रही है उक्त आराजी मे सायलान का कुआ व बोर है। कुआ व बोर मे मशीन डली हुई है। जिसका बिजली का खाता सायलान के नाम है। जिससे गैरसायलान का कोई सम्बन्ध नही गैरसायलान झगडालू तथा राज्य कानून से निडर व्यक्ति है। पन्ना मर्डर केस मे 14 साल की सजा काट कर आया है। हिस्ट्रीशीटर होने से जिला बदल किया गया है। दिनांक 26.12.2018 को सायलान ट्रेक्टर लेकर खेत को जुतबाने गये थे तब गैरसायलान ने ऐलानिया धमकी देकर ट्रेक्टर वाले को भगा दिया खेत को जौतने व बौने नही दिया गैरसायलान सायलान के कब्जे काश्त मे रूकावट डाल रहे है इसलिए सायलान गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी हैं।

बहस वकील सायलान का मनन किया गया पत्रावली प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड व दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त आराजी जमाबंदी सम्बत 2072–75 मे सायलान के खातेदारी मे दर्ज है। इस बाबत सायलान ने अपना शपथ पत्र भी प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किया है। इस प्रकार गैरसायलान का वादग्रस्त आराजीयात मे कोई हक हकूक खातेदारी नही है। गैरसायलान की इस कार्यवाही से हक हकूक सायलान पर आधात है और सायलान को अपूर्णीय क्षति व भारी असुविधा है। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने पर गैरसायलान को जो उक्त आराजी के खातेदार काश्तकार नही है को कोई अपूर्णीय क्षति व असुविधा नही है। सायलान का प्राईमाफेसी केस प्रस्तुत दस्तावेज जमाबंदी से सावित होता है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थना पत्र सायलान स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र सायलान विरूद्व गैरसायलान स्वीकार किया जाता है। गैरसायलान को ताफैसला वाद पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह आराजी खसरा नम्बर 8865 लगायत 8879,8862/4, कुल किता 16 कुल रकवा 14 बीघा 18 विस्वा व खसरा नम्बर 8885/2 रकवा 1 बीघा 4 विस्वा कस्वा करौली तहसील करौली मे सायलान के खातेदारी व कब्जे मे कोई रूकावट व मदाखलत नही करे।

निर्णय आज दिनांक 24.02.2020 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
करौली

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2020.04.09 17:15:44 IST
Reason: SelfAttested
Location: